

प्राकृतिक आपदा के कारण घटित दुर्घटना जैसे- अतिवृष्टि/बाढ़/आगजनी/पानी के तेज बहाव/आंधी तुफान/आकाशीय बिजली इत्यादि में हुई क्षति के लिए एसडीआरएफ (SDRF) मद से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र/अग्रेषण पत्र

मैं मानसिंह पुत्र/पत्नी/पति गणेशराज जाति भोज निवासी गवाधरा
ग्राम पंचायत गवाधरा पटवार मण्डल गवाधरा पंचायत समिति सरभुजा तहसील सरभुजा जिला
बांसवाड़ा का हूँ दिनांक 15.09.22 को घटित प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति के लिये निम्नानुसार
आवेदन /निवेदन करता हूँ :-

" भाग -अ" परिवार के सदस्यों का विवरण अंकित करें

क्र.स.	सदस्यों के नाम	आयु	परिवार के मुखिया से संबंध	व्यवसाय
1	<u>मानसिंह</u>	<u>57 वर्ष</u>	<u>स्वयं</u>	<u>खेती</u>
2	<u>राहुदेवी</u>	<u>55 वर्ष</u>	<u>पत्नी</u>	
3	<u>मुकुश</u>	<u>21 वर्ष</u>	<u>पुत्र</u>	
4	<u>कावेता</u>	<u>28 वर्ष</u>	<u>पुत्री</u>	
5				
6				

" भाग -ब" मृत्यु/घायल के मामलों में भरा जाना

क्र.स.	विवरण	अंकित किये जाने वाले विवरण
1	घटना की दिनांक	
2	घटना स्थल	
3	घटना की प्रकृति	
4	मृत/घायल व्यक्ति का नाम, आयु एवं पूर्ण पता	
5	मृत/घायल व्यक्ति का व्यवसाय	
6	दुर्घटना का परिणाम मृत/गंभीर/साधारण घायल	
7	घटना के कारण आंख, हाथ, पैर, आदि की स्थायी रूप से क्षति हुई है तो विवरण अंकित करें	
8	घटना के कारण चिकित्सालय में भर्ती होने का विवरण अंकित करें	
9	आवेदनकर्ता का नाम पूर्ण पता	
10	मृत्यु के मामले में मृतक से आवेदक का संबंध में	
11	आवेदक का मोबाईल नंबर	<u>7413867798</u>

नोट:-

- प्राकृतिक आपदा का अभिप्राय बाढ़/अतिवृष्टि के कारण मकान ढह जाने/आगजनी के कारण मृत्यु/घायल एवं पानी के तेज बहाव में बह जाना है। यह ज्ञान होते हुए भी कि नदी/नाला/पुल/रपट पर अत्यधिक पानी एवं तेज बहाव है, पार करने पर घटित दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु का लामू देय नहीं है।
- मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र/एफ.आई.आर. इत्यादि संलग्न किया जाना आवश्यक है।

3. स्थायी/साधारण घायल के मामले में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें क्षति का प्रतिशत उल्लेखित हो एवं चोट प्रतिवेदन संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. गंभीर होने के मामले में चिकित्सालय में भर्ती होने व छुट्टी होने की तिथि बाबत प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
5. प्रत्येक मामले में संबंधित पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है साथ ही परिवार का राशन कार्ड भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

“ भाग -स” क्षतिग्रस्त मकान के मामले में भरा जाना

क्र. स.	मकान (कच्चा/पक्का/झोपड़ी) अंकित करें	क्षति का विवरण (पूर्ण/गंभीर/आंशिक) अंकित करें	मकान क्षति की अनुमानित राशि	घटना की दिनांक	प्राकृतिक घटना का कारण
	कच्चा	गंभीर	45000/-	15.09.22	अतिप्रवृत्ति

नोट:-

1. आगजनी के मामले में पुलिस में दर्ज रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता या कनिष्ठ अभियन्ता के अभाव में तकनीकी सहायक द्वारा मकान का क्षति मूल्यांकन प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
3. मकान का अधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र या मकान पट्टा एवं मकान पूर्ण क्षति होने पर एक मकान होने का प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी या ग्राम सचिव द्वारा जारी कर लगाया जाना आवश्यक है।

“ भाग -द” पशु क्षति के मामले में भरा जाना

क्र. स.	पशुओं का प्रकार	क्षति/पशु पालक के पास उपलब्ध कुल पशुओं की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	मृत पशुओं का अनुमानित मूल्य	दुर्घटना की दिनांक	प्राकृतिक दुर्घटना का कारण
1	2	3	4	5	6	7
(अ)	दुधारु पशु					
1	भैंस					
2	गाय					
3	ऊँटनी					
4	भैंड					
5	बकरी					
(ब)	अदुधारु पशु					
1	ऊँट					
2	बैल/सांड					
3	घोड़ा					
4	बछड़ा					
5	गधा					

नोट :-

1. प्रत्येक मृत पशु के मामले में पशु चिकित्सक द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है।

" भाग -य" फसल क्षति के मामले में भरा जाना

केवल खेत में खड़ी फसल पर सहायता देय है। (मकान, खलियान पर रखी फसल पर सहायता देय नहीं है।)
आवेदनकर्ता खातेदार के पास उपलब्ध कृषि खाते की भूमि का विवरण _____
कृषक की श्रेणी (लघु/सिमान्त) आदि) _____

पटवार मण्डल	तहसील	खाता संख्या	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	
			सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5

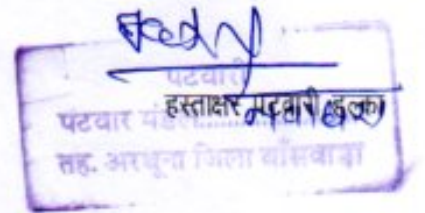
घोषणा

मैं मनसिंह पुत्र/पत्नी/पति राजेश निवासी गवावरा
जाति S.F. का होकर यह घोषणा करता हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त सूचना सही एवं सत्य है।
हस्ताक्षर/अंगुठा प्रार्थी मनसिंह

पटवारी रिपोर्ट

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों की पुष्टि की जाकर नियमानुसार एसडीआरएफ मद से सहायता राशि स्वीकृत लिये जाने की अनुशंसा की जाती है। पर्चा मौका एवं अपेक्षित अभिलेख/प्रमाणित प्रति संलग्न है।

अनुशंसा/अग्रेषण प्रपत्र



क्रमांक:-

दिनांक :-

मूल प्रार्थना पत्र उपरोक्त दस्तावेज के साथ जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) बांसवाड़ा को अग्रेषित करते हुए प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की भली भांति जांच पड़ताल करा ली गई है, तथा उक्त घटना प्राकृतिक आपदा की परिभाषा के अन्तर्गत है, तथा घटना की पुष्टि करते हुए नियमानुसार एसडीआरएफ मद से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा/सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर तहसीलदार
तहसीलदार
भरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)

हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी

मौका पर्चा

आज दिनांक 16.09.22

.....को सुचना मिलने पर पटवार मंडल नवाहरा
.....के ग्राम नवाहरा.....में श्री मान सिंह पिता
लाधुराम जाति बील के मकान पर पहुंचा। मौके पर
उपस्थित मौतबिरानो ने बताया कि दिनांक 15.09.22 को
भारी वर्षा (अतिवृष्टि) होने से श्री मान सिंह पिता
लाधुराम जाति बील का कच्चा / पक्का
मकान आंशिक / पूर्ण रूप से गिर गया जिसका अनुमानित
नुकसान 45000/- हुआ है। मौके पर उपस्थित
मौतबिरानो के रुबरु मौका पर्चा बनाया जाकर पढ़कर
सुनाया गया, बाद हस्ताक्षर / अंगूठा निशान लिए गए।

मौतबिरानो

मौतबिरानो

पटवार

पटवार

पटवार मंडल नवाहरा
तह. अरधूना जिला बांसवाड़ा

देवी लाल भागीमंद

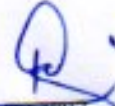
शिव कावा मोरेश

रमलाल

मकान क्षति का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र

दिनांक 16/07/2022 को मेरे द्वारा ग्राम नवावल में प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षति होने से श्री मानसिंह पिता नारायण जाति 57 के मकान पर मौका जांच की गई। मौके पर मकान में 45000.00/- की क्षति पाई गई। ☒ कच्चा/पक्का मकान या झोपड़ी पूर्ण/गंभीर/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होना पाया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

दिवाली मट्टी = 20000.00/-
कच्चा पोर = 15000.00/-
आवकन लकड़ी = 10000.00/-
45000.00/-


हस्ताक्षर
कनिष्ठ अभियन्ता,
पंचायत समिति

-::कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति अरधुना ::-

क्रमांक:- (64)

दिनांक: 15-09-2022

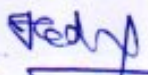
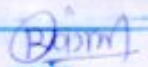
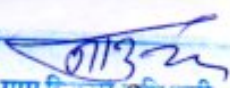
X :: मकान का अधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र ::-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री मान सिंह पिता नाथूराम निवासी नवाधरा का मकान ग्राम पंचायत नवाधरा तहसील अरधुना में बना हुआ था। इनका मकान गांव नवाधरा में बना हुआ था इसका "प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है।

 सरपंच ग्राम पंचायत नवाधरा पं.स.अरधुना, जि.बांसवाड़ा (राज.)	 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नवाधरा पं.स.अरधुना, जि.बांसवाड़ा (राज.)
---	---

-:: एक मकान होने का प्रमाण पत्र ::-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती मान सिंह पिता/पत्नी नाथूराम निवासी नवाधरा ग्राम पंचायत नवाधरा तहसील अरधुना जिला बांसवाड़ा का यह एक मात्र मकान है। इसके अलावा इनका कोई अन्य मकान नहीं है। जो अतिवृष्टि/भारी वर्षा/आगजनी से पूर्ण रुप से क्षतिग्रस्त हो चुका है।

 पटवारी पटवार मंडल <u>नवाधरा</u> पटवार मंडल <u>नवाधरा</u> तह. अरधुना जिला बांसवाड़ा	 सरपंच ग्राम पंचायत नवाधरा पं.स.अरधुना, जि.बांसवाड़ा (राज.)	 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नवाधरा पं.स.अरधुना, जि.बांसवाड़ा (राज.)
--	---	---